| नीति: | | |
|---|---|---|
| **अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा** | | |
| नीति कोड: | प्रभावी होने का दिनांक: | पार-संदर्भ: |
| **IPV 1** | मार्च 1, 2018 | ALT 1 CHA 1 REC 1<br>RES 1 VIC 1 VUL 1 |

## सिद्धांत

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा एक बहुत ही गंभीर, व्याप्त, और जटिल समस्या है जिसके लिए एक विशेष कार्रवाई की आवश्यकता होती है जो अग्रसक्रिय, समन्वित और सशक्त हो।

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा बहुत से अन्य अपराधों से भिन्न होती है:

- यह समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है
- इसके शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय प्रभाव प्रायः लंबे समय तक बने रहने वाले और उल्लेखनीय होते हैं
- इसमें बार-बार दोहराए जाने का रुझान होता है, और बाहरी हस्तक्षेप, जैसे कि पुलिस या न्यायालय के शामिल होने पर, पीड़ित के लिए जोखिम बढ़ सकता है
- प्रायः पीड़ित वित्तीय और भावनात्मक रूप से अपराधी से जुड़ा होता है जिससे अपराधी पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध के फलस्वरूप पीड़ित पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
- हिंसा की सीमा चरम तक जा सकती है, जिसमें कैनेडा में मानव हत्या के पांच मामलों में से एक मामला अंतरंग साथी की हत्या का होता है

## इस नीति का प्रयोग

इस नीति के प्रयोजन हेतु:

"अंतरंग साथी" में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है - चाहे उनका लिंग या यौन रुझान कैसा भी हो - जिसके साथ आरोपी/प्रतिवादी का लगातार निकट और व्यक्तिगत या अंतरंग संबंध हो, या रहा हो, चाहे कथित आपराधिक आचरण के समय वे कानूनी तौर पर विवाहित हों या नहीं अथवा एक साथ रह रहे हों या नहीं।

"अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा" (IPV) में शामिल हैं:

- किसी अंतरंग साथी के विरुद्ध शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती का अपराध, अथवा शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती की धमकी देना
- शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती से इतर कोई अन्य अपराध, जैसे कि आपराधिक उत्पीड़न, धमकी देना, सहमति के बिना अंतरंग चित्रों का प्रकाशन, या ऐसा शरारतपूर्ण कार्य जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद हो कि अपराध का उद्देश्य किसी अंतरंग साथी में भय, मानसिक आघात पैदा करना, उसे कष्ट या नुकसान पहुंचाना था, अथवा अपराध के कारण वास्तव में ऐसा हुआ
- ऐसा अपराध जहां आरोपी के आपराधिक कृत्य का लक्ष्य अंतरंग साथी हो भले ही अंतरंग साथी प्रत्यक्ष पीड़ित न हो, उदाहरण के लिए, जहां आरोपी ने अंतरंग साथी के लिए महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति या चीज के विरुद्ध अपराध किया हो जैसे कि अंतरंग साथी के बच्चे या नए साथी पर हमला करना
- उपर्युक्त से संबंधित परिस्थितियां, जिनमें धारा 810 के तहत जमानत लेना अनिवार्य हो जाए
- उपर्युक्त परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित न्यायालय आदेशों के उल्लंघन का अपराध:
  - “K” फाइलों पर दी गई जमानत, परिवीक्षा, या सशर्त सजा के आदेश
  - पूर्व के *फैम्ली रिलेशंस एक्ट* के तहत दिए गए निरोधात्मक आदेश
  - *फैम्ली लॉ एक्ट* के तहत दिए गए सुरक्षा आदेश
  - धारा 810 के तहत दी गई जमानतें

प्रशासनिक और रिकॉर्ड रखरखाव के प्रयोजन हेतु, बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस (BCPS) सभी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों को जिन्हें अभियोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो, न्यायालय के रजिस्ट्री नंबर तथा क्राउन फाइल में “K” लिखकर एक “K” फाइल के रूप में चिह्नित और नामोद्दिष्ट कर देती है।

## आरोप का निर्धारण

*क्राउन काउंसल एक्ट* के तहत, पुलिस से RCC प्राप्त हो जाने के बाद, यह क्राउन काउंसल की जिम्मेदारी होती है कि वह *चार्ज असेसमेंट गाइडलाइन्स (CHA 1)* की नीति के अनुरूप अभियोजित करने का निर्णय ले। यह केवल पीड़ित की इच्छा के अनुसार तय नहीं किया जा सकता।

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों में, जहां साक्ष्यों का परीक्षण पूरा हो जाता है, अभियोजन यानी मुकदमा चलाने की कार्यवाही पर आगे बढ़ना सामान्यतः जनहित में होता है।

क्राउन काउंसल को बिना विलंब किए अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के आरोपों का निर्धारण कर देना चाहिए।

चूंकि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाना भविष्य की हिंसा के लिए एक चिह्नित किया गया जोखिम कारक होता है, अत: जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जमानत के उल्लंघन, सशर्त

सजा आदेशों और परिवीक्षा आदेशों के लिए आरोपों को अनुमोदित करने पर विचार करे। सामान्यतः, इन आरोपों पर कार्यवाही की जानी चाहिए भले ही मूल आरोपों पर न हुई हो, विशेष रूप से उन स्थितियों में जिन्हें पुलिस द्वारा "उच्च जोखिम" के रूप में चिह्नित किया गया हो। उल्लंघनों के लिए सजा मिलने के कारण कार्यक्रमों के प्रकार पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें करेक्शंस ब्रांच प्रदान कर सकती है, और साथ ही भविष्य में जमानत एवं सजा देने संबंधी सुनवाइयों में जोखिम निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ेगा।

जहां यह आरोप हो कि *फैम्ली लॉ एक्ट* (FLA) के तहत दिए गए सुरक्षा आदेश अथवा पूर्व *फैम्ली रिलेशंस एक्ट* (FRA) के तहत दिए गए निरोधात्मक आदेश का उल्लंघन हुआ है, वहां यदि गैर-अनुपालन की परिस्थितियां सुरक्षा से संबंधित हों तो क्राउन काउंसल को उल्लंघन के अभियोग पर विचार करना चाहिए। FLA के तहत सुरक्षा आदेशों को *क्रिमिनल कोड* की धारा 127 के अनुसरण में एक न्यायालय आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाकर लागू किया जा सकता है और FRA के तहत निरोधात्मक आदेशों को उस पूर्व अधिनियम तथा *अफेन्स एक्ट* के उपबंधों के तहत लागू किया जा सकता है।

जहां किसी आरोप को न लगाने का निर्णय लिया जाए, अथवा जहां कार्यवाही स्थगित करना उपयुक्त हो जाए, वहां क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या किसी पीड़ित या उसके परिवार की सुरक्षा के लिए *क्रिमिनल कोड* (*रिकाग्निजेंसेज अंडर सेक्शन 810 एंड पीस बांड्स* (REC 1)) की धारा 810 के तहत जमानत (रिकाग्निजेंस) का आवेदन देने की आवश्यकता है। क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या "*दि रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम*" अथवा करेक्शंस ब्रांच द्वारा प्रशासित किसी ऐसे ही कार्यक्रम में भाग लेना जमानत की शर्त के तौर पर उपयुक्त रहेगा, जिसके लिए व्यावव्हारिक तौर पर कम से कम एक वर्ष के सामुदायिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है (परिशिष्ट A देखें)।

पारस्परिक आरोप विरले तौर पर ही अनुमोदित किए जाने चाहिए और पारस्परिक जमानतें विरले तौर पर ही उपयुक्त रहती हैं। उन परिस्थितियों में जहां पारस्परिक हिंसा का आरोप लगाया जाए, क्राउन काउंसल को हमला करने वाले व्यवहार को रक्षात्मक अथवा सहमति-जन्य आचरण से अलग करने का प्रयास करना चाहिए।

### वैकल्पिक उपाय

उपयुक्त परिस्थितियों में, वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा सकता है यदि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के किसी मामले में अभियोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभी भी हासिल किए जा सकते हों (*ऑल्टर्नेटिव मेशर्ज़ फॉर ऐडल्ट अफेन्डर्स* (ALT 1))।

किसी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामले में, पीड़ित की चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना वैकल्पिक उपायों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए और उन पर तभी आगे बढ़ना चाहिए यदि:

- कोई महत्वपूर्ण शारीरिक चोट न हो
- अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा का पिछला इतिहास न हो
- प्रासंगिक जोखिम कारकों पर गौर करने के बाद, जैसे कि वे कारक जो "अधिक जानकारी" के तहत बताए गए हैं, और करेक्शंस ब्रांच द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जोखिम निर्धारण जानकारी पर भी गौर करने के बाद, क्राउन काउंसल के पास यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार न हो कि और भी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा अपराधों का उल्लेखनीय जोखिम है

- वैकल्पिक उपायों का प्रयोग जनहित के विरोध में न हो

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा पर विशिष्ट रूप से लक्षित करेक्शंस ब्रांच का कार्यक्रम जिसका शीर्षक *"दि रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम"* है, वैकल्पिक उपायों के रेफरल पर उपलब्ध नहीं है (परिशिष्ट A देखें)।

हालांकि वैकल्पिक उपायों के रेफरल पर कार्यवाही के किसी भी चरण में विचार किया जा सकता है, लेकिन रेफर करने से पहले क्राउन काउंसल को किसी आरोप को अनुमोदित करने तथा रिहा करने की शर्तों को तैयार रखने पर विचार करना चाहिए।

## जमानत (बेल) से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

### रिहाई या हिरासत की उचित शर्तें मांगना

जमानत पर मत तैयार करते समय, क्राउन काउंसल को जनता की सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें पीड़ित और परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर बच्चे भी शामिल हैं। क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह आरोपी द्वारा पैदा किए गए और ज्ञात जोखिम कारकों के संबंध में, जैसा पुलिस तथा अन्य स्रोतों ने उपलब्ध कराई हो, समस्त उपलब्ध जानकारी पर विचार करे (अधिक जानकारी को देखें) यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का तर्कसंगत आधार हो कि और भी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे जमानत की सुनवाई पर अपनी बात प्रस्तुत करने से पहले पुलिस से ऐसी जानकारी मांग लेनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो रिमांड की मांग करनी चाहिए।

पीड़ित, अथवा अन्य संभाव्य पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, जब भी हिरासत आदेश अथवा रिहाई की शर्तों की मांग करना आवश्यक हो, क्राउन काउंसल को वारंट का अनुरोध करना चाहिए।

यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा की परिस्थितियों में ऐसे न्यायालय आदेश शामिल हैं जहां आरोपी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो क्राउन काउंसल को पुष्टि करनी चाहिए कि जांचकर्ता एजेंसी ने उन आदेशों को क्राउन काउंसल RCC में शामिल कर लिया है। संभावित प्रासंगिक आदेशों में पूर्व के *FRA, FLA, चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट,* तथा *डिवोर्स एक्ट* के तहत दिए गए आदेश शामिल हैं। क्राउन काउंसल को प्रत्येक आदेश की समीक्षा करनी चाहिए और उन आदेशों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जमानत की शर्तों के साथ संभावित टकराव कम से कम किए जा सकें।

### गंभीर शारीरिक नुकसान या मौत की पर्याप्त संभावना - अनिवार्य मत

यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आरोपी द्वारा दूसरे व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है या वह उसकी मौत का कारण बन सकता है, तो क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह *क्रिमिलन कोड* की धारा 515(12) अथवा 516(2) के अनुसार एक "कोई संपर्क नहीं" आदेश के साथ-साथ एक हिरासत आदेश भी प्राप्त करे। जहां ऐसे मामलों में हिरासत का आदेश नहीं दिया गया हो, वहां क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह पीड़ित, पीड़ित के परिवार, तथा जनता के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए न्यायालय से शर्तें लगाने की मांग करे। क्राउन काउंसल को ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल के परामर्श से जमानत की समीक्षा पर तुरंत विचार करना चाहिए।

## जमानत की शर्तों की समीक्षा

जहां कोई आरोपी गिरफ्तार किया गया हो और फिर पुलिस द्वारा उसे वादे के आधार पर रिहा किया गया हो कि वह उपस्थित होगा या शर्तों का पालन करेगा, वहां क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए कि वे प्रवर्तनीय हैं तथा पीड़ित, पीड़ित के परिवार, तथा जनता के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं। यदि वे अप्रवर्तनीय अथवा अपर्याप्त हैं, तो क्राउन काउंसल को वारंट का अनुरोध करना चाहिए और *क्रिमिनल कोड* की धारा 499(4), 503(2.3), अथवा 512 के तहत शर्तों में संशोधन की मांग करनी चाहिए।

यदि कोई आरोपी पहली बार पेश होने से पहले पुलिस द्वारा आदेशित शर्तों की समीक्षा करने की मांग करता है, तो क्राउन काउंसल को पुलिस के RCC की समीक्षा करनी चाहिए और, जहां आवश्यक हो, मत बनाने से पहले पुलिस तथा पीड़ित से संपर्क करना चाहिए।

यदि पीड़ित या आरोपी जमानत की किसी शर्त को हटाने का अनुरोध करता है जो आरोपी और पीड़ित के बीच संपर्क का निषेध करती हो, तो क्राउन काउंसल को उपलब्ध स्रोतों से जैसे कि पीड़ित, जमानत सुपरवाइजर, अथवा पुलिस से आरोपी और पीड़ित के संबंधों के इतिहास के बारे में, तथा आरोपी की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा अथवा अन्य पहचाने गए जोखिम कारकों का इतिहास हो (अधिक जानकारी को देखें), तो क्राउन काउंसल को जमानत की शर्तों की समीक्षा के लिए सहमति नहीं देनी चाहिए।

## जमानत पर मतभेद - पुलिस से परामर्श (जिसमें "उच्चतम-जोखिम" वाले मामले भी शामिल हैं)

जब पुलिस को आशंका हो कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा का मामला "उच्चतम जोखिम" वाला हो सकता है, तो पुलिस आरोपी का जोखिम निर्धारण शुरू करने का निर्णय ले सकती है। जहां पुलिस ने मामले को "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित किया हो, और क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि हिरासत जरूरी नहीं है अथवा यह कि पुलिस द्वारा सिफारिश की गई कोई भी जमानत की शर्त जरूरी नहीं है, तो क्राउन काउंसल को जमानत की सुनवाई से पहले पुलिस से परामर्श करना चाहिए और पुलिस को अवसर देना चाहिए ताकि वह कोई भी और प्रासंगिक साक्ष्य अथवा जानकारी उपलब्ध करा सके।

यदि ऐसे परामर्श के बाद भी पुलिस और क्राउन काउंसल में असहमति हो कि पुलिस द्वारा सिफारिश की गई हिरासत या कोई भी जमानत की शर्त जरूरी है या नहीं, तो क्राउन काउंसल को जमानत की सुनवाई से पहले रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

जो मामले "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित नहीं हैं, उनमें यदि क्राउन काउंसल पुलिस के साथ इस बात पर असहमत हो कि हिरासत, अथवा पुलिस द्वारा सिफारिश की गई कोई भी जमानत की शर्त जरूरी है या नहीं, तो क्राउन काउंसल को जमानत की सुनवाई से पहले पुलिस से परामर्श करने का उचित प्रयास करना चाहिए और पुलिस को अवसर देना चाहिए ताकि वह कोई भी और प्रासंगिक साक्ष्य अथवा जानकारी उपलब्ध करा सके।

सभी मामलों में, क्राउन काउंसल को फाइल पर लिखित टिप्पणी देनी चाहिए जिसमें असहमति का आधार तथा क्राउन काउंसल द्वारा बनाए गए मत का तर्क दिया गया हो।

### जमानत का उल्लंघन

यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि जमानत की किसी शर्त के कथित उल्लंघन से "उच्चतम जोखिम" वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चिंताएं पैदा होती हैं, तो क्राउन काउंसल को जमानत रद्द करने और हिरासत का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन देना चाहिए। अन्य सभी मामलों में, यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि जमानत की किसी शर्त के कथित उल्लंघन से किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चिंताएं पैदा होती हैं, तो क्राउन काउंसल को जमानत रद्द करने और हिरासत का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन देने पर विचार करना चाहिए।

## बाल सुरक्षा - *चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट*

*चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट* की धारा 14 में अपेक्षित है कि सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनके पास यह मानने का कारण हो कि किसी बच्चे को “सुरक्षा की आवश्यकता है,” जैसा कि एक्ट की धारा 13 में परिभाषित किया गया है, यह जरूरी है कि वे मामले की सूचना शीघ्रता से किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर द्वारा नामोद्दिष्ट किए गए बाल सुरक्षा कार्यकर्ता को दें। सामान्यतः यह तर्कसंगत अपेक्षा की जाती है कि जहां आवश्यक होगा पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि यह मानने का कारण है कि पुलिस रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी अथवा जहां क्राउन काउंसल को ऐसी अतिरिक्त जानकारी मिलती है जो RCC में नहीं है और जिसके कारण यह मानने का आधार बनता हो कि एक्ट में परिभाषित किए गए अनुसार किसी बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है, वहां क्राउन काउंसल के लिए कानूनन जरूरी है कि वह एक रिपोर्ट तैयार करे।

## पीड़ितों को जानकारी देना (जिसमें "उच्चतम-जोखिम" वाले मामले भी शामिल हैं)

सभी पीड़ितों को पीड़ित सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सलाह दी जानी चाहिए।

क्राउन काउंसल द्वारा अथवा बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस के निर्दिष्ट कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित के बारे में पीड़ित को समय पर जानकारी दी जानी चाहिए - कोई भी तय किए गए आरोप, रिहाई की शर्तें, अथवा मामले से संबंधित अन्य प्रगति जैसा कि बीसी के *विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट*, संघीय *कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स* तथा *Victims of Crime - Providing Assistance & Information to (VIC 1)पर नीति के अनुसार अपेक्षित हो।*

जिन मामलों को पुलिस ने "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित किया हो, उनमें क्राउन काउंसल द्वारा अथवा बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस के निर्दिष्ट कार्मिकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित तथा पुलिस को यथाशीघ्र रिहाई, रिहाई की शर्तों, तथा न्यायालय के मत के बारे में सूचित किया जाए। इससे आवश्यकता होने पर पीड़ित पुलिस से संपर्क कर सकेगा। यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह अन्य न्यायिक/बाल कल्याण साझेदारों (जैसे कि करेक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैम्ली डिवेलपमेंट) को यथाशीघ्र सूचित करे, जब तक कि समुदाय में क्राउन काउंसल द्वारा ऐसा किए जाने की कोई सहमत प्रथा मौजूद न हो।

## अनिच्छुक गवाह

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों के अभियोजन में प्रायः पीड़ित अथवा अन्य गवाह अनिच्छुक या संकोची होते हैं। आरोपी और अन्य लोग न्यायालय प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं और पीड़ित प्रायः संबंध में हिंसा की गंभीरता को न्यूनतम बताते हैं, अथवा उसके होने से ही इनकार कर देते हैं। क्राउन काउंसल को प्रमाणित करने के संबंध में किसी भी संकोच के कारण जानने का प्रयास करना चाहिए और प्रतिक्रिया की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। जब यह मानने का उचित आधार हो कि पीड़ित अथवा गवाह को धमकाया गया है अथवा बाधित किया गया है, तो क्राउन काउंसल को चाहिए कि वह जांच के लिए मामला पुलिस को रेफर कर दे।

पीड़ित सेवा के शामिल होने से पीड़ित को न्यायालय की प्रक्रिया जारी रखने में मदद मिल सकती है।

पीड़ित को व्यक्तिगत तौर पर एक सम्मन दिया जाना चाहिए कि वह गवाही दे , लेकिन सीमित परिस्थितियों में ही पीड़ित के पेश न हो पाने पर उसके लिए किसी महत्वपूर्ण गवाह वारंट (मटीरियल विटनेस वारंट) की मांग की जानी चाहिए। क्राउन काउंसल को सभी साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए, जिसमें पीड़ित द्वारा प्रमाण देने की संभावना तथा मामले की परिस्थितियां, कथित अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा की गंभीरता, और बच्चों व अन्यों की सुरक्षा की आवश्यकता शामिल हैं, तथा  पीड़ित के लिए मटीरियल विटनेस वारंट का आवेदन करने से पहले ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल से परामर्श करना चाहिए।

जहां क्राउन काउंसल यह पुष्टि करने में असमर्थ हो कि पीड़ित प्रमाणित करेगा, उसे विचार करना चाहिए कि क्या अन्य प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध हैं।

## गवाही देने संबंधी विशेष सुविधाएं और प्रकाशन संबंधी रोक

*कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स* की धारा 13 और 19 में व्यवस्था है कि सभी पीड़ितों को यह अधिकार है कि वे गवाह के रूप में पेश होते समय, कानून में दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रमाणित करने में सहायक चीजें मांग सकते हैं।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या धारा 486 से 486.5 के तहत प्रमाणन संबंधी विशेष सुविधाएं और प्रकाशन संबंधी रोक उपलब्ध हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में, न्यायालय निम्नलिखित के लिए आदेश दे सकता है:

- जनता को बाहर रखना अथवा गवाह सावर्जनिक तौर पर न दिखाई दे (धारा 486(1))
- कोई सहायता करने वाला व्यक्ति (धारा 486.1)
- गवाह द्वारा एक अलग कमरे से या पर्दे या अन्य युक्ति के पीछे से गवाही देना (धारा 486.2)
- नियुक्त किए गए काउंसल द्वारा जिरह (जहां आरोपी का वकील न हो) (धारा 486.3)
- पीड़ित की पहचान के संबंध में प्रकाशन पर रोक (धारा 486.4 और 486.5)

विरले मामलों में, जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.31 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि गवाह की पहचान करा सकने वाली किसी भी जानकारी को कार्यवाही के दौरान प्रकट न किया जाए अथवा  *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.7 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने

पर भी विचार कर सकता है, ताकि गवाह को सुरक्षा दी जा सके। इस प्रकार का आवेदन देन से पहले, क्राउन काउंसल को किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

## सुनवाई की तैयारी

जहां यह मानने का उचित आधार हो कि गंभीर शारीरिक नुकसान अथवा मृत्यु की काफी संभाव्यता है, अथवा यदि कोई कमजोर स्थिति वाला पीड़ित हो (*वल्नरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज़ - ऐडल्ट* (VUL 1)), वहां फाइल जल्दी ही किसी ट्रायल काउंसल को निर्दिष्ट कर दी जानी चाहिए और निर्दिष्ट किए गए क्राउन काउंसल को भी निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

- पीड़ित, पुलिस, पीड़ित सेवा, तथा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैम्ली डिवेलपमेंट के साथ संप्रेषण एवं समन्वय बढ़ाना
- सुनवाई के लिए जल्दी तारीख मांगना
- पीड़ित को जल्दी पहचान तथा किसी भी प्रमाणन सुविधा अथवा प्रकाशन रोक की सूचना देना सुनिश्चित करना जो *क्रिमिनल कोड* की धारा 486 से 486.31 और 486.7 के तहत उपलब्ध हों।

## समाधान संबंधी चर्चा

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामले में समाधान चर्चा शुरू करने अथवा कार्यवाही पर स्थगन के निर्देश से पहले, क्राउन काउंसल को *रेज़लूशन डिस्कशंज़ एंड स्टेज़ ऑफ प्रोसीडिंग्ज़* (RES 1) संबंधी नीति पर विचार करना चाहिए।

## सजा देना

*विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट* की धारा 4, तथा *कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स*की धारा 15 और 19 के अनुसार, पीड़ितों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे पीड़ित प्रभाव विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराएं।

जहां सामुदायिक पर्यवेक्षण उचित हो, क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या अपराधकर्ता को करेक्शंस ब्रांच द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है जिसका नाम "*रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम*" (परीशिष्ट A देखें) है और यदि उपयुक्त हो तो एक प्री-सन्टेंस रिपोर्ट (सजा-पूर्व रिपोर्ट) मांगनी चाहिए।

क्राउन काउंसल को ऐसी शर्तें प्राप्त करनी चाहिए जिनसे पीड़ित को सुरक्षा मिलती हो। इनमें "कोई संपर्क नहीं" और रिपोर्ट करने की आवश्यकता शामिल हो सकती हैं, और साथ ही किसी भी परामर्श या कार्यक्रम में शामिल होना, भाग लेना, तथा उसे सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल हो सकता है।

क्राउन काउंसल को धारा 743.21 के तहत एक आदेश का अनुरोध करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें अपराधकर्ता के लिए सजा की हिरासत की अवधि में किसी भी पीड़ित अथवा गवाह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण का निषेध हो।

क्राउन काउंसल को धारा 487.051 के तहत एक DNA आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए।

क्राउन काउंसल को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 109 अथवा 110 के तहत हथियारों का निषेध अनिवार्य है, जिसमें धारा 109(1)(a.1) अथवा 110(2.1) के तहत दिए गए उपबंधों का विशेष खयाल रखा जाए, जो विशिष्ट रूप से अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा से संबंधित हैं। हथियारों के निषेध में धारा 109, 110, अथवा 810(3.1) में वर्णित मदें तथा साथ में नकली आग्नेयास्त्र भी शामिल किए जाने चाहिए।

जहां निषेध आदेश दे दिया गया हो, क्राउन काउंसल को धारा 114 के तहत भी एक आदेश प्राप्त करना चाहिए कि जब धारा 115 के तहत आग्नेयास्त्र जब्त किए जाते हैं तो उसी समय लाइशेंसशुदा आग्नेयास्त्र भी जमा करा दिया जाए। हालांकि धारा 116 में व्यवस्था है कि निषेध का आदेश देने पर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन स्वत: ही निरस्त हो जाते हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर दिखाई देने में निषेध को कुछ समय लग सकता है। धारा 114 के तहत दिया गया आदेश, अपराधकर्ता को निषेध का रजिस्ट्रेशन लंबित होने तक लाइशेंस के तहत और आग्नेयास्त्र प्राप्त करने से रोकता है।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 738 अथवा 739 के तहत हर्जाना देने आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) उचित रहेगा और पीड़ितों को यह बताने का अवसर देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि क्या वे अपने नुकसान और हानियों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।।

## अधिक जानकारी

### पहचाने गए जोखिम के कारक

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के साथ अनेक जोखिम के कारक जुड़े हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

#### आरोपी का इतिहास

- धमकियों, हिंसा, यौन जबरदस्ती, और
  आपराधिक उत्पीड़न के बारे में आरोपी का आपराधिक हिंसा का इतिहास
- पिछले अंतरंग साथी के विरुद्ध के साथ हिंसा, धमकियां, अथवा दुर्व्यवहार (अब्यूसिव बिहेवियर)
- न्यायालय आदेश, अथवा न्यायालय आदेशों के उल्लंघन का इतिहास
- ड्रग अथवा शराब के दुरुपयोग का इतिहास
- रोजगार की अस्थिरता, बेरोजगारी, अथवा वित्तीय समस्याएं
- मानसिक रोग का इतिहास
- आत्महत्या के विचार, धमकी अथवा प्रयास
- हथियार/आग्नेयास्त्र - उन तक पहुंच, उनका प्रयोग अथवा धमकियां

#### जोखिम के बारे में पीड़ित की धारणा

- व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पीड़ित की धारणा
- भावी हिंसा के बारे में पीड़ित की धारणा

### संबंधों का इतिहास

- संबंध की वर्तमान स्थिति (पिछला, हाल का अथवा लंबित सेपरेशन या पृथक्करण)
- हिंसा/दुर्व्यवहार की आवृत्ति/तीव्रता में वृद्धि
- 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का घर में रहना या अभिरक्षा विवाद
- धमकियां
- जबरदस्ती सेक्स
- फांसी लगाना, गला घोंटना, अथवा काटना
- पीछा करना
- पीड़ित के सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होने की जानकारी (सांस्कृतिक अथवा दलित-उपेक्षित होने संबंधी कारक)

## परिशिष्ट A

### करेक्शंस ब्रांच का रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम (संबंधों हिंसा रोकथाम कार्यक्रम)

मध्यम और उच्च-जोखिम वाले साथी के विरुद्ध हिंसा वाले अपराधकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों (जैसे कि धारा 810 के प्रतिवादियों) के लिए करेक्शंस ब्रांच द्वारा एक *रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम* उपलब्ध कराया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। इस प्रोग्रैम के दो क्रमिक भाग हैं: *रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप (सम्मानपूर्ण संबंध)*, यह एक 10-सप्ताह का कार्यक्रम है जो करेक्शंस ब्रांच के स्टाफ द्वारा प्रदान किया जाता है, और *रिलेशनशिप वायलन्स प्रोग्रैम* जो 17-सप्ताह का कार्यक्रम है और अनुबन्धित सेवादाताओं द्वारा प्रदान किया जाता है।

*रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप* और *रिलेशनशिप वायलन्स प्रोग्रैम* की कुल अवधि मिलाकर 27 सप्ताह (लगभग 6.5 महीने) है। कार्यक्रम की समय-सारणी संबंधी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम एक वर्ष के सामुदायिक पर्यवेक्षण की सिफारिश की जाती है ताकि दोनों कार्यक्रमों का पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।